पत्र संख्या : 7ब/2049 गै०यो०–.01...../2013/ज०स०.........74
झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

एस० के० शतपथी
प्रधान सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता, हजारीबाग;
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी;
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

रॉंची, दिनांकः 27/08/13

विषय :– माँग संख्या–13–ब्याज संदाय मुख्य शीर्ष–2049–ब्याज अदायगियाँ–उप मुख्यशीर्ष–60– अन्य दायित्वों पर ब्याज–लघुशीर्ष–701–विविध उपशीर्ष–03–विविध न्याय निर्णय के आलोक में ब्याज–विस्तृत शीर्ष–07–अन्य व्यय–57–ब्याज विपत्र कोड–13N204960701030757 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013–14 में व्यय हेतु प्राप्त राशि का उप–आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2013–2014 में व्यय हेतु **बजट मुख्य शीर्ष 2049**– ब्याज अदायगियाँ–उप मुख्यशीर्ष–60– अन्य दायित्वों पर ब्याज–लघुशीर्ष–701–विविध उपशीर्ष–03–विविध न्याय निर्णय के आलोक में ब्याज–विस्तृत शीर्ष–07–अन्य व्यय–57–ब्याज विपत्र कोड–13N204960701030757 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013–14 में वित्त विभाग के पत्रांक–11/बी० टी०–02/2013–14/298 बजट दिनांक–12.08.2013 से प्राप्त राशि को निम्न रूप में दर्शाये गये निम्नांकित कार्यालय को उप–आवंटित किया जाता है :–

क्र०सं०	कार्यालय का नाम	विवरण	कुल आवंटन (लाख ₹ में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	जलपथ प्रमंडल, हजारीबाग	एक्जिकुयसन वाद सं०–01/2001, 02/2001, 03/2001 भारत ड्रिलिंग एण्ड फाउडेशन ट्रीटमेट प्राइवेट लिमिटेड बनाम राज्य सरकार एवं अन्य मामलें में दिनांक–01.09.2011 को सबजज–1 हजारीबाग द्वारा पारित आदेश के आलोक में अंतर सूद राशि हेतु।	**30.17919**	

आवंटित राशि – ₹ तीस लाख सतरह हजार नौ सौ उन्नीस मात्र।

---

2. आवंटित राशि वर्ष 2013–2014 में वित्त विभाग के आवंटन पत्रांक–298 बजट, दिनांक–12.08.2013 द्वारा प्राप्त राशि ₹ 30.17919 लाख (तीस लाख सतरह हजार नौ सौ उन्नीस मात्र) के अन्तर्गत् है।
3. **निकासी व्ययन पदाधिकारी द्वारा राशि की निकासी कर एवं नियमानुसार भुगतान कर अनुपालन प्रतिवेदन जल संसाधन विभाग/वित्त विभाग को अविलम्ब भेजेंगें।**
4. आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्त्ते वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि॰ (2) दिनांक 17. 04.98 एवं 1800 (वि॰) दि॰ 15.07.2003 के आलोक में होगा।
5. उप–आवंटित राशि का व्यय विधि (न्याय) विभाग द्वारा निर्गत् स्वीकृत्यादेश सं०–सी०/डी०डी०ए०–05/2013–1920/जे० दिनांक–18.07.13 एवं वित्त विभाग द्वारा निर्गत् आवंटन में अंकित शर्त्तों के अनुरूप किया जायेगा।
6. राशि की निकासी निर्धारित प्रक्रिया एवं नियमों के अनुरूप हो, यह सुनिश्चित किया जायेगा।

(एम०एस० चौरसिया)	(सुबोध कुमार सिन्हा)	(बी॰ सी॰ निगम)
उप सचिव (अभि॰)	संयुक्त सचिव (अभि॰)	विशेष सचिव

7. राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन/उपआवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।

8. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।

9. आवंटित राशि से अन्य दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।

10. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगें। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगें कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।

11. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग–1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।

12. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।

13. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका **इकाईवार प्रत्यर्पण 31 जनवरी 2014** तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (http://www.wrdjharkhand.nic.in) पर भी उपलब्ध है।

अनु॰– 1. वित्त विभाग का आवंटनादेश
सं॰–298/ दि॰–12.08.13 की प्रति
2. विधि (न्याय) विभाग का पत्रांक–
सी०/डी०डी०ए०–05/2013–1920/
जे० दिनांक–18.07.13

(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :– 74 रॉची, दिनांक :– 27/08/13

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (लेखा एवं हक॰) झारखण्ड पो॰ – **हिनू, रॉची/कोषागार पदाधिकारी, राँची/डोरण्डा/हजारीबाग** सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु॰– 1. वित्त विभाग का आवंटनादेश
सं॰–298/ दि॰–12.08.13 की प्रति
2. विधि (न्याय) विभाग का पत्रांक–
सी०/डी०डी०ए०–05/2013–1920/
जे० दिनांक–18.07.13

(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :– 74 रॉची, दिनांक :– 27/08/13

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/ योजना एवं विकास विभाग/आंतरिक वित्तीय सलाहकार जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख –I एवं II जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो०) राँची/विशेष सचिव, जल संसाधन विभाग/संयुक्त सचिव (अभि॰)/उप सचिव (अभि॰) जल संसाधन विभाग को पॉच प्रति/प्रशाखा–7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/ प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग/को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(एम०एस० चौरसिया)	(सुबोध कुमार सिन्हा)	(बी॰ सी॰ निगम)	**(एस० के० शतपथी)**
उप सचिव (अभि॰)	संयुक्त सचिव (अभि॰)	विशेष सचिव	**प्रधान सचिव**